Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में जिला समन्वयक, पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *29 अप्रेल, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी बाड़मेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये अजय कल्याण जिला समन्वयक, पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाड़मेर (संविदा नियुक्ति) को परिवादी से 35 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सोनोग्राफी मशीन शुरू करने की स्वीकृति देने की एवज में अजय कल्याण जिला समन्वयक, पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाड़मेर (संविदा नियुक्ति) द्वारा **35 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी बाड़मेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामनिवास** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अजय कल्याण पुत्र श्री नारायण लाल मेघवाल निवासी ग्राम पोस्ट केरू वाया डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू हाल जिला समन्वयक, पी.सी.पी.एन.डी.टी. प्रकोष्ठ, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बाड़मेर (संविदा नियुक्ति) को परिवादी से **35 हजार रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं* ***Whatsapp** हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।